

अज अदालत नायब तहसीलदार जालोर

सरकार जरिये पटवारी हल्का तीखा बनाम देवेन्द्रसुन्दर शर्मा हिमतराम  
जीवप्रामजी मानाराम जालोर माल  
जाति दोन्वी निवासी जालोर मुकदमा नम्बर 79/2018  
अन्तर्गत धारा 91 आर एल आर एक्ट 1956

निर्णय

दिनांक 08-2-2018

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल हाजिर। जो किसी भी प्रकार का साक्षी/सबूत प्रस्तुत करना नहीं चाहता है। अतः गैर सायल की सहादत बंद की जाती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। मामले में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का

तीखा द्वारा संवत् 2074 की रिपोर्ट पेश कर जाहिर किया गया है कि गैर

सायल द्वारा मौजा पहाडपुरा के खसरा नं. 330 रकबा 2.17 हेक्टेयर

है0, किस्म सिवायचक पर नाजायज तौर से अतिक्रमण कर लाउकरकेण बनाया

है। रिपोर्ट के आधार पर मामला धारा 91 आर एल आर 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर कर

गैर सायल को धारा 91(3) के तहत नोटिस तलब किया गया। सुनवाई के दौरान गैर

सायल की और से किसी भी प्रकार का साक्ष्य सबूत पेश करना नहीं चाहता है। उक्त

आराजी का अतिक्रमी घोषित किया जाकर भौतिक रूप से बेदखली का आदेश दिया

जाता है। वार्षिक लगान 11.79 रुपये का 50 गुणा जुर्माना अंको में 590/-

रुपये अक्षर पंचसौ तब्बे बतोर गैर सायल पर आरोपित किया जाते है।

पटवारी हल्का को वसूली एवं भौतिक रूप से बेदखली करने हेतु लिखा जावे एवं जुर्माना

मांग रा.ले. सं 4 में दर्ज करायी जाये मिसल बाद तामिल फैसला सुंमार होकर नम्बर से

कम दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 08-2-2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

नायब तहसीलदार जालोर  
पुखाराम शर्मा